भारत सरकार

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निर्देश

राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निर्देश

संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह उपबंधित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी । अनुच्छेद 342 में यह भी उपबंधित है कि संघ के शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि (अर्थात् 25 जनवरी, 1965) तक किया जाता रहेगा । अनुच्छेद 343 (1) में संसद को यह उपबंधित करने की शक्ति दी है कि वह विधि द्वारा शासकीय प्रयोजन के लिए 25 जनवरी, 1965 के बाद भी शासकीय कार्य में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखवा सकेगी। तदनुसार, राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित) की धारा 3(2) में 25 जनवरी, 1965 के बाद भी शासकीय कार्य में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में यह भी निर्धारित किया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अनिवार्यत: किया जाएगा जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और शासकीय कागज-पत्र; संविदा, करार, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र, निविदा सूचना और निविदा प्रपत्र आदि।

- संविधान का अनुच्छेद 343(1) - संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, अंक अंतर्राष्ट्रीय रूप।
- अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग।
- संविधान का अनुच्छेद 343(3) - 26 जनवरी, 1965 के बाद भी सरकारी कार्य में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने हेतु अधिनियम संरचना का प्रावधान।
- संविधान में भाषा संबंधी अन्य अनुच्छेद निम्नानुसार हैं :-

अनुच्छेद 120	संसद की भाषा
अनुच्छेद 345	राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं
अनुच्छेद 346	एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा
अनुच्छेद 348	उच्चतम और उच्च न्यायालय के लिए प्रयोग की भाषा
अनुच्छेद 351	हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश

राजभाषा अधिनियम, 1963

- **राजभाषा अधिनियम, 1963** (संविधान के अनुच्छेद 343(3) के प्रावधान के अनुसार वर्ष 1963 में पारित)
- धारा 3(1) - संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की समाप्ति पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा संघ के राजकीय कार्यों तथा संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रहेगी।
- धारा 3(3) - संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रेस विज्ञप्तियों, संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजातों, विधियों, करारों, निविदा-प्रारूपों आदि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए।
- धारा 4 - राजभाषा संसदीय समिति का गठन एवं कर्तव्य
- राजभाषा अधिनियम, 1963 समस्त भारत में लागू है, केवल धारा 6 और धारा 7 के उपबन्ध जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होते। (धारा 6 राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत अनुवाद से संबंधित है एवं धारा 7 उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित है)

राजभाषा नियम, 1976

- हिंदी के अनुमानित ज्ञान के आधार पर देश के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को तीन क्षेत्रों, यथा - क, ख, ग में परिभाषित किया गया है।
- राजभाषा नियम तमिलनाडु राज्य में लागू नहीं होते।
- नियम 4 - पत्रादि की भाषा संबंधी नियम। उपरोक्त नियमानुसार भाषाई क्षेत्रों के अनुसार हर वर्ष वार्षिक कार्यक्रम में पत्राचार के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। **वार्षिक कार्यक्रम** माननीय गृह मंत्री जी के अनुमोदन से जारी होता है। वर्तमान वित्त वर्ष में पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :-

हिंदी में मूल पत्राचार	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
	क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100%	ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90%	ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55%
	क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100%	ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90%	ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55%
	क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65%	ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55%	ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55%

	क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/व्यक्ति 100%	ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/व्यक्ति 100%	ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/व्यक्ति 85%

- नियम 5 - हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं।
- नियम 8(1) - कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है। उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।
- नियम 8(4) - केन्द्र सरकार नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है कि उनमें हिंदी में प्रवीण कर्मचारी टिप्पण और प्रारूप आदि में केवल हिंदी का प्रयोग करें।
- नियम 9 - कोई कर्मचारी हिंदी में प्रवीण तभी माना जाएगा जब उसने मैट्रिक या उसके समतुल्य या उच्च स्तर की कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो, या जिसने स्नातक परीक्षा में अथवा उसके समतुल्य अथवा उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी एक वैकल्पिक विषय से उत्तीर्ण की हो, या निर्धारित प्रारूप में हिंदी में प्रवीणता की घोषणा की हो।
- नियम 10(1) - किसी कर्मचारी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान तभी माना जाएगा जब उसने मैट्रिक या उसके समतुल्य या उच्च स्तर की कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, या जिसने प्राज्ञ अथवा अन्य निर्धारित निम्नतर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या केन्द्र सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या निर्धारित प्रारूप में हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान की घोषणा की हो।
- नियम 10(4) - यदि किसी कार्यालय में 80% या अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो तो उस कार्यालय का नाम राजपत्र में अधिसूचित किया जाए।
- नियम 12- केन्द्र सरकार के कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों, इनके उपबन्धों और इनके अधीन जारी निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करे तथा इसके लिए उपयुक्त व प्रभावकारी जांच बिंदु बनाए।

<u>राजभाषा संकल्प- 1968</u>

- सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करना।
- हिंदी प्रयोग व प्रसार हेतु उठाए कदमों तथा प्रगति की समीक्षा को संसद के दोनों सदनों में वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना।
- हिंदी व संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करना।
- त्रिभाषा फार्मूला लागू करना।
- अन्यथा की स्थिति को छोड़ते हुए केंद्रीय सरकार के पदों पर भर्ती हेतु हिंदी अथवा अंग्रेजी, किसी एक भाषा का अनिवार्य ज्ञान होना।
- अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखना।

<u>राजभाषा नीति की मुख्य बातें</u>

(i) केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी नियम-पुस्तकें, संहिताएं और अन्य प्रक्रिया साहित्य हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाने अपेक्षित हैं। सभी फार्म, रजिस्टरों के शीर्षक, नामपट्ट, सूचनापट्ट व लेखन सामग्री की विभिन्न मदें आदि हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी अपेक्षित हैं।

(ii) अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि अधिनियम की धारा 3(3) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएं।

(iii) केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम, नियमों के उपबन्धों और नियम 12 के अधीन जारी निदेशों का समुचित पालन हो और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त तथा प्रभावी जांच-बिंदु बनाए जाएं।

(iv) राजभाषा नीति का अनुपालन प्रेरणा और प्रोत्साहन द्वारा किया जाता है और यह किसी पर थोपी नहीं जाती।